



# उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार,

संख्या: 134/46/गोपन/पी0सी0एस0(प्रा0)प0-2012/2014-2015

हरिद्वार : दिनांक : 02 दिसम्बर, 2015

## सूचना / विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 30 नवम्बर, 2014 को आयोजित सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा-2012 के आधार पर निम्नलिखित अनुक्रमांकों के अभ्यर्थियों को मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या (S/B) No. 71 of 2014 Sunil Kumar & another, (S/B) No. 76 of 2015 Manoj Kumar Chaudhary & others, (S/B) No. 81 of 2015, Atul Kumar & another (S/B) No. 95 of 2015 Dr. Kuldeep & another में दिनांक 16.11.2015 में पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन में पदवार मुख्य परीक्षा हेतु औपबन्धिक रूप से सफल घोषित किया जाता है-

- 1- ऐसे समेकित पद (डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, जिला समाज कल्याण अधिकारी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कार्य अधिकारी जिला पंचायत, खण्ड विकास अधिकारी, वित्त अधिकारी, जिला बचत अधिकारी, परिवहन कर अधिकारी-1, जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी एवं जिला पूर्ति अधिकारी) जिनकी अनिवार्य शैक्षिक अर्हता स्नातक है-

600083	601142	602490	605150	608590
612110	613213	613451	614918	615058
616028	620095	620681	628806	631623
632966	633320	636266	637927	638492
639139	641635	641678	642496	643645
644333	645173	648250	649372	649813
654506	657439	662703	664376	664465
665551	670023	670262	678816	682914
682964	684112	684798	684802	688178
688717	689298	690558	690801	691564
691726	693051	693129	693475	693759
693763	693839	694853	695080	697666
698077	699178	700268	703900	704177
704545	704792	704915	704953	705732
706734	706924	707061	707654	708473
709823	709974	710021	710058	710437
711984	712273	713069	714775	715096
717201	718113	718356	720331	720560
721122	722012	723566	724210	724453
725577	727152	728652	729409	730386
730505	730946			

7/11/15

9

2- उप निबन्धक (वित्त विभाग)-

610384	612809	613589	614130	679901	687926
692963	701344	705589	710342	721056	722542
731867					

3- बाल विकास परियोजना अधिकारी (महिला एवं बाल विकास विभाग)-

602957	602985	606527	610489	617267	617542
620891	635443	661758	679209	694552	706612
706755	712725	712821	716502	723485	725576
730333					

उपरोक्त परीक्षा परिणाम रिट याचिका संख्या:-431/2014 (एस0/बी0) सन्तोष नेगी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, रिट पिटीशन (PIL) संख्या:-161/2014 गौरव पंवार बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं रिट पिटीशन (PIL) संख्या:-67/2011 में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा उक्त रिट याचिकाओं में पारित किये जाने वाले अन्तिम आदेश के अधीन रहेगा।

**नोट: 1-** उक्त परीक्षाफल अभ्यर्थियों द्वारा उनके ऑनलाईन आवेदन-पत्रों में किये गये दावों यथा शैक्षिक अर्हता, स्थायी निवास, लम्बवत्/क्षैतिज आरक्षण आदि से सम्बन्धित दावे के आधार पर घोषित किया जा रहा है। अभ्यर्थियों द्वारा किये गये दावों से सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण किया जाना अवशेष है। सभी अभ्यर्थियों का परीक्षाफल पूर्णतः औपबन्धिक है। मुख्य/साक्षात्कार परीक्षा से पूर्व समस्त दावों एवम् अभिलेखों का विस्तृत परीक्षण किया जायेगा। यदि दावों एवम् अभिलेखों में किसी भी प्रकार की विसंगति पायी जाती है अथवा दावे असत्य पाये जाते हैं तो अभ्यर्थी को मा0 आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी तथा उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण पृथक से शीघ्र प्रकाशित किया जायेगा।

2. मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित अन्तिम आदेश दिनांक 16.11.2015 के क्रम में आयोग द्वारा दिनांक 03 फरवरी, 2015 को प्रश्नगत् परीक्षा के घोषित परीक्षा परिणाम में उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी के आरक्षण का लाभ पाते हुए मुख्य परीक्षा हेतु सफल घोषित अभ्यर्थियों का भी परीक्षा परिणाम मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल उपरोक्त रिट याचिकाओं के अधीन रखते हुए ऐसे सभी अभ्यर्थियों को औपबन्धिक रूप से मुख्य परीक्षा हेतु सफल घोषित किया जाता है। इस संबंध में मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा पारित अंतिम निर्णय के पश्चात् ही अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा।

720

?

3. मुख्य परीक्षा माह जनवरी, 2016 के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है।
4. संशोधित कट ऑफ मार्क्स के सम्बन्ध में सूचना आयोग की वेबसाइट [www.ukpsc.gov.in](http://www.ukpsc.gov.in) पर उपलब्ध है। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आयोग कार्यालय को प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

62.12.2015  
(पी० सी० डंडरियाल)

प्रभारी सचिव

प्रतिनिधि विभाग/विभाग को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई देना पेषित।